संशोधित आदेश

भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ

संख्याः 558 /रेरा/शक्ति प्रतिनिधायन /2017–18, दिनांकः 29 जनवरी 2018

कार्यालय आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यालय आदेश संख्या–368/रेरा/शिकायत/2017–18 दिनांक 03.01.2018 द्वारा उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु विभिन्न अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकरणों/बोर्डों/मण्डलों से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। अग्रतर उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई हेतु उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण तथा अपर आवास आयुक्त (श्री महेन्द्र कुमार) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को भी नामित किया जाता है।

2. उक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 03.01.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, मुकुल सिंहल, अध्यक्ष रेरा/अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकरणों/ बोर्डों/मण्डलों से सम्बन्धित शिकायतों को अधिनियम तथा नियमावली तथा समय–समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्राधिकृत करता हूँ:–

क.सं.	नामित अधिकारी	प्राधिकरण/बोर्ड/मण्डल
1	सचिव भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (R.E.R.A.)	नोएडा/ग्रेटर नोएडा से सम्बन्धित शिकायतें, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त सक्षम प्राधिकारियों (Competent Authority) के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें।
2	अपर आवास आयुक्त (श्री महेन्द्र कुमार) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त शिकायतें।
3	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सहारनपुर, मुरादाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
4	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण	जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
5	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण	आगरा मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
6	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण	अलीगढ़ तथा मेरठ मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
7	उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	बरेली मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
8	उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण	जनपद गौतम बुद्ध नगर की ऐसी शिकायतें जो आवंटित की जायेगी।
9	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	इलाहाबाद, झांसी तथा चित्रकूट मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
10	उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	कानपुर, वाराणसी तथा फैजाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।

11	उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण	आजमगढ़, गोरखपुर तथा मिर्जापुर मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
12	उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण	बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल से सम्बन्धित समस्त शिकायतें।
13	उपाध्यक्ष, उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	लखनऊ मण्डल से सम्बन्धित एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित समस्त शिकायतें

3. जनपद गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ऐसी शिकायतें जो सचिव रेरा को आवंटित हैं एवं जिनकी प्रथम सुनवाई की तिथि 15.01.2018 के बाद नियत है, की सुनवाई उपाध्यक्ष गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली एवं हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। इन अधिकारियों को शिकायतों का आवंटन सिस्टम द्वारा यथा–सम्भव समान संख्या में किया जायेगा।

4. उपाध्यक्ष, उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को आवंटित शिकायतों की सुनवाई उनके द्वारा निर्धारित दिवसों पर उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के कार्मिकों का सहयोग प्राप्त करते हुए सप्ताह में 03 दिन 6, जे सी बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय में की जायेगी।

5. शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में मानक प्रकिया (SOP) पत्र संख्या–135/रेरा/शिकायत/2017–18 दिनांक 31.10.2017 के माध्यम से जारी की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न है।

6. सभी सम्बन्धित अधिकारीगण रेरा (R.E.R.A.) द्वारा उनको प्रेषित शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण निर्धारित समयावधि में करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/अपर मुख्य सचिव

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित सूचनार्थ।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथारिटी।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. अपर आवास आयुक्त (श्री महेन्द्र कुमार) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/अपर मुख्य सचिव